उत्तरांचल शासन

संख्या : 940/औ०वि०/07–उद्योग/2004–05

प्रेषक,

संजीव चोमड़ा,
सचिव, औद्योगिक विकास,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक उद्योग,
उत्तरांचल।

औद्योगिक विकास विभाग

देहरादून दिनांक : नवम्बर 9/10, 2004

विषय: निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिये भूमि की न्यूनतम सीमा निरन्तरता में 30 एकड़ होने पर राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों/आस्थानों को चिन्हित (Identify)/घोषित (Declare) किये जाने के सम्बन्ध में नीति।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा नये औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विनियमन/घोषित किये जाने हेतु निम्नवत नीति निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है :–

प्रदेश शासन द्वारा निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विनियमन/घोषित किये जाने हेतु जहां पर चिन्हित क्षेत्र अथवा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित स्थान/क्षेत्र की भूमि निरन्तरता में 30 एकड़ से अधिक हो, को उद्योग संघों/प्रमोटर्स/निजी संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र के रूप में अधिसूचित/घोषित कर, चिन्हित औद्योगिक क्षेत्र की भूमि की अधिसूचना हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जायेंगे।

1. निजी औद्योगिक क्षेत्रों के नाम उस क्षेत्र के राजस्व ग्राम के नाम से तथा जिस औद्योगिक संघ/प्रमोटर्स/निजी संस्था द्वारा प्रस्तावित किया गया हो, को फैसिलिटेटर के रूप में नामित करते हुये अधिसूचित किया जायेगा।

2. उद्योग संघों द्वारा प्रस्तावित निजी औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग स्थापना हेतु भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति, यदि 12.5 एकड़ से अधिक भूमि क्रय की जानी है, तो भू-संक्रमण का प्राधिकार, प्रदूषण नियंत्रण अनापत्ति, विद्युत तथा पानी की उपलब्धता, भवन कार्यशाला, राजपट मानचित्रों की विहित प्राधिकारी से स्वीकृति/अनुमोदन इत्यादि प्राप्त करने के लिये औद्योगिक विकास विभाग तथा उद्योग संघ फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करेंगे।

3. भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 10 जून, 2003 में अधिसूचित भूमि के खसरा नम्बरों की भूमि में से जिन औद्योगिक इकाईयों द्वारा उत्तरांचल में दिनांक 31 मार्च, 2004 से पूर्व भूमि –

क्रय कर उद्योग स्थापना का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, ऐसी भूमि को राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के रूप में घोषित/विनियमित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी, ताकि ऐसी इकाईयों को विशेष पैकेज के अन्तर्गत सुविधायें प्राप्त हो सकें।

4. इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में औद्योगिक क्षेत्रों में पूर्व स्थापित उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए खसरा नम्बरों को अधिसूचित किया गया है। सीमा शुल्क एवं इनकम टैक्स की माफी का लाभ उठाने हेतु इन्हें भी औद्योगिक क्षेत्र घोषित करना आवश्यक है। अतएव इन क्षेत्रों को भी विशेष औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की संस्तुति की जाती है।

भवदीय,

(संजीव चोपड़ा) 9/8/07
सचिव

पृ० सं० 940/उक्त/ तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली
5. आयुक्त, कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डल।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
9. समस्त जिलाधिकारी।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून।
12. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
13. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र
14. NIC Uttaranchal : इस Report को शासन की अधिसूचना (Archive section) Website पर डाल दें।

(संजीव चोपड़ा) 9/8/07
सचिव

संख्या– 11/औ0वि0/07–उद्योग/2004

प्रेषक,

श्री रांजीव चोपड़ा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तरांचल,देहरादून।

औद्योगिक विकास विभाग देहरादून दिनांक: 27/जनवरी 2004

विषय : उत्तरांचल राज्य में निजी क्षेत्र में नये औद्योगिक आस्थान केन्द्र स्थापित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक नीति 2003 के अन्तर्गत सरकार द्वारा विशेष औद्योगिक क्षेत्रों, निर्यात क्षेत्रों,थीम पार्कों, बायोपालिस, पर्यटक स्थलों, विद्युत उर्जा उत्पादन, पारेषण व वितरण, सडकों, विमान पत्तन आई0सी0डी0, एकीकृत औद्योगिक नगरों, नागरिक अवस्थापनाओं सहित अन्य अवस्थाप्रना क्षेत्रों की परियोजनाओं में निजी क्षेत्रों की सहभागिता किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में उद्योगों को बढावा देने की नीति के अर्न्तगत एवं प्रमुख औद्योगिक घरानों द्वारा उद्योगो की स्थापना हेतु भूमि की आवश्यकता को देखते हुये यह भी निर्णय लिया गया है कि नये औद्योगिक केन्द्रों को स्थापित करने एवं उनके विकास हेतु स्थानीय उद्यमियों को प्राथमिकता देते हुए निजी क्षेत्र, अप्रवासी भारतीयों सार्वजनिक क्षेत्रों तथा सहकारिता, पंचायती राज, नगर पालिका परिषदों, आदि को इस हेतु प्रोत्साहित किया जाय। इस निमित राज्य उपक्रम उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0(सिडकुल) देहरादून को नोडल एजेन्सी के रूप में नामित किया गया है। नोडल ऐजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार विभिन्न क्षेत्रों के संचालको/व्यवसायियों आदि से विचार–विमर्श किया गया है जिसके आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों के विकास एवं अवस्थापना हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश निर्धारित किये गये है:–

1. संस्था/व्यवसायी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 60 एकड भूमि तथा पर्वतीय इलाको में न्यूनतम 30 एकड भूमि क्रय स्वयं करेगी तथा इन औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने हेतु प्रबन्धन करेगी।

2. इन क्षेत्रों को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व प्राधिकरण रेवेन्यू आथॉरिटी अग्नि शमन विभाग, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन आदि द्वारा स्वीकृत/अनुमति/अनुमोदन/अनापत्ति आदि संबंधी जो वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होगी वह संस्था/कम्पनी द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेगी।

शासन द्वारा औघोगिक क्षेत्रों के विकास हेतु निर्गत किये गये आदेशों के अनुसार भू–उपयोग एवं (Building Bye-laws) आदि का अनुपालन किया जायेगा। औघोगिक क्षेत्रों में (Development Authority) विकास प्राधिकरण का कार्य सिडकुल सम्पादित करेगी।

इसके अलावा संस्था/कम्पनी को समय समय पर शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन करना अनिवार्य होगा।

औघोगिक क्षेत्रों को विकसित करने वाली संस्था/कम्पनियों के पास यह विकल्प होगा कि वे सिडकुल को 11 प्रतिशत की निःशुल्क इक्यूटि उपलब्ध कराकर सिडकुल की भागीदारी प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव दे सकती है। इस स्थिति में सिडकुल संस्था को औघोगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु यथासम्भव सहयोग प्रदान करेगा।

ऐसे औघोगिक आस्थानों की अवस्थापना सुविधाओं की देखरेख, नालियों, सडकों का रखरखाव, प्रकाश व्यवस्थाओं तथा अन्य नागरिक सुविधाओं की जिम्मेदारी संबंधित संस्था/कम्पनी होगी।

कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित की गयी दरों पर विपणन, विकास आदि किये जोयगें।

निजी क्षेत्र में औघोगिक आस्थान बनाने हेतु इच्छुक उघमी/संस्था इस आशय का आवेदन संक्षिप्त प्रोजेक्ट प्रोफाईल/प्री–फिजिबल्टी रिपोर्ट के साथ संबंधित महा प्रबन्धक,जिला उघोग केन्द्र के कार्यालय में प्रस्तुत करेगें एवं महा प्रबन्धक जिला उघोग केन्द्र 15 दिन के अन्दर विस्तृत आख्या निदेशक उघोग एवं सिडकुल को प्रेषित करेगें।

भवदीय

(संजीव चोपडा)
सचिव।

पत्र संख्या 11/1/औ0वि0/07–उघोग/2004, तददिनांकितः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य औघोगिक विकास निगम लि0,देहरादून।
निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, उत्तरांचल को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया इसे उत्तरांचल वैबसाईट में प्रसारित करने का कष्ट करें।
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन एवं सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से

25/11/07

(संजीव चोपडा)
सचिव।

संख्या 968 / औ०वि० / 07–उद्योग / 04–05

प्रेषक,

संजीव चोपड़ा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक उद्योग,
उत्तरांचल।

औद्योगिक विकास विभाग देहरादून : दिनांक : 25 नवम्बर, 2004

विषय : निजी क्षेत्रों में औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिये भूमि की न्यूनतम सीमा निरन्तरता में 30 एकड़ होने पर राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों/आस्थानों को चिन्हित (Identify)/घोषित (Declare) किये जाने के सम्बन्ध में नीति।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर शासन के पत्र संख्या–940/औ.वि./07–उद्योग/2004–05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 से जारी नीति/दिशा निर्देश के प्रस्तर–4 में स्थापित शब्दों एवं अंशों को शासन द्वारा निम्नवत संशोधित (Amendment) कर शुद्धिपत्र (Corrigendum) जारी करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई है :–

"इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में गैर औद्योगिक क्षेत्रों में पूर्व स्थापित उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए खसरा नंबरों को अधिसूचित किया गया है। सीमा शुल्क एवं इनकम टैक्स की माफी का लाभ उठाने हेतु इन्हें भी औद्योगिक क्षेत्र घोषित करना आवश्यक है। अतएव इन क्षेत्रों को भी विशेष औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।"

भवदीय,

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 968(1)/उक्त/तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्या 89/ VII-1 / 2015 / 137–उद्योग / 2005
देहरादून : दिनांक : 12 जनवरी, 2015

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या 2381 / सात–औ0वि0–1 / 2005–137 उद्योग / 2005, दिनांक 07 जुलाई, 2005 जिसके द्वारा राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, के कम में उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा 17 के प्रावधान के अंतर्गत राज्य में अधिसूचित समस्त औद्योगिक क्षेत्रों / औद्योगिक आस्थानों एवं मेगा प्रोजेक्ट के लिये विनियमित क्षेत्रों जो कि अधिसूचित हो गये हो, में भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने का अधिकार राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (SIDA) को दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है।

2– राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना दिनांक 07 जुलाई, 2005 के द्वारा SIDA के अध्यक्ष के रूप में सचिव उत्तराखण्ड शासन उद्योग विभाग या उनके द्वारा नामित अधिकारी जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे न हो, में आंशिक संशोधन करते हुये SIDA के अध्यक्ष के रूप में अवस्थापना विकास आयुक्त / प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को नामित किया जाता है।

3– सीडा के गठन की अधिसूचना दिनांक 07.07.2005 के द्वारा की व्यवस्थाओं के अनुसार राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण का कार्यालय सिडकुल मुख्यालय आई0टी0पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में स्थापित किये जाने तथा प्राधिकरण के समस्त सचिवालयी कार्यो के सम्पादन हेतु सीडा सचिवालय की संरचना निम्नवत् की जाती है:–

1. संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास विभाग पदेन संयुक्त सचिव / नोडल अधिकारी सीडा।
2. अनु सचिव, औद्योगिक विकास विभाग पदेन अनुसचिव, सीडा।
3. अनुभाग अधिकारी, औद्योगिक विकास विभाग पदेन अनुभाग अधिकारी सीडा।
4. समीक्षा अधिकारी, औद्योगिक विकास विभाग पदेन समीक्षा अधिकारी सीडा।

4– नोडल अधिकारी द्वारा सीडा के प्रकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जायेगें।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।